राजस्व लोक अदालत कैम्प तिलवाडा तहसील पचपदरा
न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस
मुकदमा न0 55/2018

2018/01411

वादीगण :– 1 हुसैन खां वल्द इब्राहिम खां जाति मुसलमान निवासी तिलवाडा

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. तहसीलदार पचपदरा जरिये राज0सरकार

**अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरूद्ध**

**आदेश** दिनांकः–14.06.2018

यह अपील अपीलान्ट के द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत तिलवाडा में प्रस्तुत की गई है।

सक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मूल ग्राम तिलवाडा के खसरा न0 874/260, 875/260 मे मे अपीलाण्ट के पिता फौत होने के पश्चात् जरिये नामान्तरकरण संख्या 908 दर्ज करते समय अपीलाण्टगण का अशुद्व नाम मेहन्दीहसन दर्ज किया गया है । जबकि सही नाम सरकारी दस्तावेज के अनुसार हुसैन खां पुत्र इब्राहीम खां है अतः अपीलाण्ट का सही नाम हुसैन खां पुत्र इब्राहीम खां करने का निवेदन किया है ।

अतः अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत ब्यानकर्ता हुसैन खां, रमजान खां, वाले खां, आदम खां, कबू खां प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र आधार कार्ड, मूलनिवासी प्रमाण पत्र, राशकार्ड, परिचय पत्र व पटवारी तिलवाडा /आरआई तिलवाडा /उप तहसीलदार जसोल की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अपीलाण्ट का राजस्व रेकर्ड मे मेहन्दीहसन की जगह हुसैन खां पुत्र इब्राहीम खां नाम दर्ज करने की सिफारिश की है।

पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । अपीलान्टगण को सुना गया। मजमे आम मे उपस्थित लोगो से पूछताछ की गई। समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाण्ट का अशुद्व नाम मेहन्दीहसन की जगह हुसैन खां पुत्र इब्राहीम खां करने के आदेश जारी हो।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार मे सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प......................

Scanned by CamScanner